प्रबंधन सेवा प्रभाग

तारीख 5 जून, 2012

विषय – बैक –टू – बैक सौदों हेतु व्यापारिक मार्गनिदेशों में संशोधन ।

3.8 निम्नलिखित खंड एसोसिएट्स के साथ हस्ताक्षरित सभी भविष्य की संविदाओं / समझौता ज्ञापन/ एमओए आदि में अपरिहार्य रूप से शामिल किए जाएँ –

"कि मैसर्स (एसोसिएट का नाम) एतदद्वारा वचन देते हैं कि एसटीसी के माल को किसी अन्य पार्टी जैसे बैंक / वित्तीय संस्थाओं आदि के पक्ष में गिरवी नहीं रखेंगे । संविदा / एमओयू / एमओए / प्लेजडीड की शर्तों और नियमों के किसी प्रकार का उल्लंघन विश्वास का आपराधिक उल्लंघन समझा जाएगा और इसके लिए मैसर्स (एसोसिएट का नाम) पर एसटीसी द्वारा आपराधिक अभियोजन किया जा सकेगा । मैसर्स (एसोसिएट का नाम) एतदद्वारा वचन देते हैं कि एसटीसी द्वारा संविदा के अधीन बेचा गया माल एसटीसी, सीडब्ल्यूसी / एसडब्ल्यूसी / सीएमए और एसोसिएट के बीच होने वाले त्रिपक्षीय करार के अनुसार विश्वास में रखा जाएगा जब तक कि एसटीसी को माल की लागत और अन्य प्रभारों का पूर्ण भुगतान नहीं कर दिया जाता है तथा विश्वास प्रक्रिया की शर्तों और नियमों में किसी प्रकार का उल्लंघन करने पर एसटीसी द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन करने हेतु एसोसिएट पर आपराधिक अभियोजन किया जा सकेगा ।"

कृपया सभी संबंधित सख्ती से अनुपालन हेतु उपर्युक्त संशोधन को ध्यान में रखें ।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(बृजेश प्रसाद)
उप महा प्रबंधक

सभी शाखा प्रबंधक / महा प्रबंधक / व्यापारिक और वित्तीय प्रभाग प्रमुख
सभी मुख्य महा प्रबंधक / निदेशक
प्रति अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक